

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2013/503

दिनांक:- 17/11/13

कार्यालय आदेश

मण्डल की आवासीय योजना, कोटा शहर की द्वारकापुरी/कुन्हाडी आवासीय योजना में खुली बिक्री योजना के माध्यम से निम्नानुसार वर्णित 23 फ्लैट्स का निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

खुली बिक्री के माध्यम से निस्तारित किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	योजना का नाम	कुल आवास	आवास संख्या
1	द्वारकापुरी कुन्हाडी आवासीय योजना	3	FFB-103, FFB-105 FFB-109
2	" "	2	FFC-101, FFC-103
3	" "	3	GFA-04, GFA-09 GFA-10
4	" "	2	GFB-08, GFB-06
5	" "	3	GFC-03, GFC-05, GFC-10
6	" "	2	SFA-207, SFA-205
7	" "	2	SFB-205, SFB-208
8	" "	1	SFC-201
9	" "	2	TFA-303, TFA-310
10	" "	3	TFC-309, TFC-308 TFC-302
		कुल आवास - 23	

पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये एक माह तक योजना खुली बिक्री के माध्यम से इन आवासों का निस्तारण हेतु खोली जाकर एक माह पश्चात् शेष आवासों के लिये सामान्य आवेदकों हेतु खोली जाकर निस्तारण की जावेगी।

(डा० आर.वैकटेश्वरन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता/निदेशक(विधि), राज० आ० म०, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राज० आ० म०, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त राजस्थान आवासन मण्डल,.....।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड राजस्थान आवासन मण्डल,.....।
8. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेब साईट पर डलवायें व सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ताओं को ई-मेल करवायें।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक